

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 642 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 10, 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय-


प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 646/12-1 दिनांक 23.08.2018.  
महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	Review the number of project affected trees and submit/upload revised enumeration list of trees along with clarification on the discrepancy in the number of trees given in different documents.	परियोजना के निर्माण से कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें से 85 वृक्ष 0-10 ब्यास वर्ग के हैं। वृक्षों की सूची पुनः निर्धारित कॉलम में अपलोड की जा चुकी है। संलग्नक:- 1- वृक्षों की सूची का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (पेंज नं०-02)
2.	Submit revised cost benefit analysis after quantifying all the parameters in moetary terms in Annexure-VI(b) VI(C)	Cost Benefit analysis पूर्व में संशोधित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1519/01 सी वन दिनांक 09.10.2017 द्वारा पूर्व में प्रेषित एवं ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है। संलग्न:-2 Cost Benefit analsis
3.	Review density.Eco-class and NPV rate and mention correct information /data in the relevant documents which may also be uploaded at designated places.	एन०पी०वी० का आंकलन कर अपलोड कर दिया गया है। संलग्न:-3 एन०पी०वी० आंकलन सीट।
4.	State Govt. may change 1.00ha MDF area included in the land proposed for CA and submit revised maps etc.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है। संलग्न:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण-पत्र।
5.	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा पत्र सं० 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया है। संलग्न:-4 पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।
6.	REC also desired that the concerned DFO may be asked to remain present in the next REC meeting.	अधोहस्ताक्षरी उपस्थित रहेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक /

दिनांक, गोपेश्वर,

23/08/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

ई0डी0एस0 दिनांक 02.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में ई0डी0एस0 के माध्यम से लगे कमियों का निराकरण करने के उपरान्त भी बिना किसी कारण के उन्ही कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव वापस लौटाया जा रहा है, उक्त प्रस्ताव में लगे आपत्ति का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गौघर के पत्र सं0 647/12-1 दिनांक 12.04.2018 एवं 1244/1सी(वन) दिनांक 07.08.2018 तथा इस कार्यालय की पत्र सं0 4153/12-1 दिनांक 28.04.2018 एवं 4772/12-1 दिनांक 06.06.2018 से वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को प्रेषित किया गया है जिसे पुनः संलग्नको की तीन-तीन छा:वाप्रति में प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	Review the number of project affected trees and submit/upload revised enumeration list of trees along with clarification on the discrepancy in the number of trees given in different documents.	परियोजना के निर्माण से कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें से 85 वृक्ष 0-10 व्यास वर्ग के हैं। वृक्षों की सूची पुनः निर्धारित कॉलम में अपलोड की जा चुकी है। संलग्नक:- 1- वृक्षों की सूची का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (पेज नं0-02)
2.	Submit revised cost benefit analysis after quantifying all the parameters in monetary terms in Annexure-VI(b) VI(C)	Cost Benefit analysis पूर्व में संशोधित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1519/01 सी वन दिनांक 09.10.2017 द्वारा पूर्व में प्रेषित एवं ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है। संलग्न:-2 Cost Benefit analysis
3.	Review density,Eco-class and NPV rate and mention correct information /data in the relevant documents which may also be uploaded at designated places.	एन0पी0वी0 का आंकलन कर अपलोड कर दिया गया है। संलग्न:-3 एन0पी0वी0 आंकलन सीट।
4.	State Govt. may change 1.00ha MDF area included in the land proposed for CA and submit revised maps etc.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है। संलग्न:- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्रमाण-पत्र।
5.	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा पत्र सं0 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया है। संलग्न:-4 पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।
6.	REC also desired that the concerned DFO may be asked to remain present in the next REC meeting.	अवधोहस्ताक्षरी उपस्थित रहेंगे।

अतः उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

646

/121

दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौघर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।